न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 59/2014 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00054

उनवान

किशन सिंह पुत्र हाकिम सिंह जाति गुर्जर निवासी सीता का पुरा तहसील बाडी जिला, धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील संख्याः– 58/2014 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00102

उनवान

ऑफीसर पुत्र किशन सिंह जाति गुर्जर निवासी सीता का पुरा मजरा मढौना तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 27.05.2014 प्र.संख्या क्रमशः 48/14, 49/14

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उनवानी किशन सिंह बनाम सरकार एवं ऑफीसर बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विज्जोलाल शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 16.07.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में जिला कलक्टर, धौलपुर के प्रकरण संख्या 48/14 उनवान किशन बनाम सरकार एवं प्रकरण संख्या 49/14 उनवान ऑफीसर बनाम सरकार निर्णय दिनांक 27.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो में तथ्य व विवादित भूमि एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. दोनों अपीलो के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार बाडी ने आराजी खसरा नंबर 440/306 किस्म गैर मुमकिन पहाड पर दोनों अपीलाण्ट का 10–10 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त दोनों अपीले, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2014 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाडी द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल सजा माफ ना करने में कानूनी भूल की है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन पहाड की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने के संबंध में को साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के विरोधियों के दबाव में आकर कार्यवाही की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल सजा को माफ नहीं किया। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अध्ययन किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उनके उक्त कथन की पुष्टि हो सकें। अपीलाण्टगण द्वारा बेदखली व पैनल्टी के आदेश का प्रतिरोध नहीं करना, विवादित आराजी पर उनका कब्जा नहीं है, कथन को बलहीन बनाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तन शील से अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अतः कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाडी ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं।

7. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र एवं पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाडी को निर्देशित करना चाहेंगें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट पुनः भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 16.08.2018 तक प्रस्तुत कर देवें, तो एक माह की सिविल जेल सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा का क्रियान्वयन करें।

8. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। दोनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official